बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०–निग / सारा– (न०वि०) आरोप–11 / 2020 5275(S) पटना, दिनांक 28/7/26

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–1073, दिनांक–31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल–जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत एवं अन्य अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी । नगर विकास एवं आवास विभाग के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि श्री संजीव चौधरी के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तद्आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1246 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–1247 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 का नियम–9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री चौधरी को निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरूद्ध संशोधित आरोप–पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरांत श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–575–सहपठित ज्ञापांक–576, दिनांक 27.01.2021 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त संशोधित आरोप पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में श्री चौधरी के विरूद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–607 (एस) दिनांक 28.01.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1061, दिनांक–14.01.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के विभागीय समीक्षोपरांत सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक–1400 (एस) अनु० दिनांक 16.02.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री चौधरी ने अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक 01.04.2026 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. श्री चौधरी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत यह पाया गया कि वर्ष 2019 में पटना शहर में हुई जल–जमाव की समस्या एक प्राकृतिक आपदा थी एवं जल–जमाव से विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा–विद्युत आपूर्त्ति आदि बाधित हुई, जिससे कई सम्प हाऊस जल–जमाव के बाद क्रियाशील नहीं हो पायी। अतएव यह घटना प्राकृतिक आपदा जनित एवं परिस्थितिजन्य रही है। पटना जल–जमाव के मामले में उक्त परिस्थिति को देखते हुए सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय कार्यपालक पदाधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया है।

कृ०पृ०उ०

आई० टी० ~~आई~~ मैनेजर।

6. अतः प्राकृतिक अतिवृष्टि एवं सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय एवं आरोप पत्र में अंकित आरोप की समानता होने को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक विचारोपरांत श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा– (न०वि०) आरोप– 11/2020 /पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा– (न०वि०) आरोप– 11/2020 /पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा– (न०वि०) आरोप–11/2020 /पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, उपभाग सहित, पथ निर्माण विभाग, पटना/उप सचिव, (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14/30 (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना सम्प्रति सेवानिवृत पता–102, सावित्री कम्प्लेक्स, पुनाईचक, प्रोफेसर्स कॉलोनी (नाला पर), डाकघंर–शास्त्रीनगर, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना–800023** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Nigrani Section-13&14\Puja Jee\Adhisuchna & Karyalay Aadehsh.Docx

ज्ञापांक :– निग / सारा– (न०वि०) आरोप–11 / 2020 पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा– (न०वि०) आरोप–11 / 2020 5276 (S) पटना, दिनांक 28/7/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

28.7.26

सरकार के उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।